

3. गैस कनेक्शन, आय व बैंक खाते से सम्बन्धित सूचना

गैस कनेक्शन (टिक करें) नहीं <input type="checkbox"/> सिंगल <input type="checkbox"/> डबल <input type="checkbox"/>	गैस एजेंसी कम्पनी (टिक करें) Indane <input type="checkbox"/> Bharat Gas <input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/>	एजेंसी:	गैस कनेक्शन उपभोक्ता क्रमांक:
वार्षिक आय (पूरे परिवार की): * (रुपये)	आयकर दाता * हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	पैन कार्ड सं.	
बैंक:	शाखा:	बैंक खाता सं.:	

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 में दी गई जानकारी सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है

संलग्नक- (अधिकतम 3)

2-

3-

4. आवास की सूचना में किरायेदार की स्थिति में मकान मालिक की सत्यापन रिपोर्ट -

यह नकान लिस्सं श्री/शुश्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री श्री से निवास कर रहे हैं। वह नदी निजी सन्वत्ति है।

हस्ताक्षर आवेदक (मुखिया) व दिनांक

5. प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/शुश्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री श्री निवासी ने नया राशन कार्ड बनवाने का जो प्रार्थना पत्र दिया है, इसके जो विवरण दिये हैं मेरी जानकारी व विचार से सही हैं। इनकी प्रार्थना स्वीकार करने योग्य है। (सदस्य लोकसभा/राज्यसभा/विधान सभा/जिला परिषद/नगर पालिका-परिषद-निगम/पंचायत : : समिति/सरपंच/वार्ड पार्षद/पटवारी/ग्राम सेवक, राज पत्रित अधिकारी व केवल जयपुर नगर निगम क्षेत्र में सेक्टर/पोस्ट/डिवीजन वार्डन नागरिक सुरक्षा सेवा)

हस्ताक्षर नकान नाजिक

हस्ताक्षर
पद, मोहर व दिनांक

कार्यालय उपयोग हेतु

चैक लिस्ट	फोटो पासपोर्ट साइज सत्यापित व धिपकाया हुआ	निवास बाबत प्रमाण	मकान मालिक के हस्ताक्षर	प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर सील सहित
	आय सम्बन्धी जानकारी	पूरा भरा आवेदन पत्र	*** अंकित सभी कालम पूर्ण रूप से भरे हुए	

6. सत्यापन रिपोर्ट

उपरोक्त तथ्यों की जांच मौके पर मेरे द्वारा कर ली गयी है। प्रार्थना पत्र स्वीकार्य/अस्वीकार्य कर राशन कार्ड जारी/जारी नहीं करना उचित होगा। आधार निम्न है -

हस्ताक्षर
पद, मोहर व दिनांक

7. आदेश

- आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेज/जांच निरीक्षक के क्रम में नवीन सामान्य (ए.पी.एल.) श्रेणी राशन कार्ड जारी करें।
- जांच अधिकारी के सत्यापन/कार्यालय रिपोर्ट के आधार पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। आवेदक को सूचित करें।

आवृत्त उचित मूल्य की दुकान का क्रमांक, नाम व पता:

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी
पद, मोहर व दिनांक

बीपीएल / स्टेट बीपीएल / अन्त्योदय / अन्नपूर्णा / आस्था श्रेणी के नवीन राशन कार्ड बनाये जाने हेतु आवेदन फार्म अ - II

सर्वप्रथम सूचना
कार्डिंग विभाग (प्रिन्टिंग) और आर.डी.ओ. के कार्यालय में प्रिंटिंग के लिए आवेदन फार्म भेजना है।
प्रिंटिंग के अनुसार राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन फार्म भेजना है।

फार्म अ-II
कार्डिंग उपयोग हेतु
आवेदन क्रमांक आवेदन की तिथि

राजस्थान सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

बीपीएल / राज्य बीपीएल / अन्त्योदय / अन्नपूर्णा / आस्था का नवीन राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन पत्र

1. स्थान व सामान्य जानकारी - जिला* : वार्ड संख्या* :
पंचायत समिति / नगरपालिका / परिषद / निगम* :
ग्राम पंचायत* : ग्राम* : (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)

आवेदक का नाम*	परिवार की भेनी	राज्य बीपीएल	अन्त्योदय
	सदस्य का दर		आस्था
	सं. क्रमांक		

वर्तमान पता*
.....
.....
.....

ग्राम व पोस्ट
.....
जिला
.....

राज्य बीपीएल / मोहल्ला / कॉलोनी / टापी) PIN [][][][][][]

आवास* : स्वयं का मकान किरायेदार अस्थायी बेघर
मौजूद पते पर रहने की अवधि वर्ष माह

व्यवसाय* : नौकरी नौकरी अन्य व्यापार
स्वतंत्र मजदूरी खेती
सेवा निवृत्ति गृहणी
बेरोजगार अन्य

मोबाइल नं.
.....
सम्पर्क दूरभाष नं.
(संख्या को नहीं भरने से)

मतदाता पहचान पत्र क्रमांक :
उचित मूल्य की दुकान का नाम :
पुराने राशन कार्ड का क्रमांक :
नवीन राशन कार्ड का क्रमांक :

जंदा आवेदक (मुखिया)
3.5 X 3 सेमी
(सत्यापित कराये)

(सोल यहा लगाने)

एलाका आवेदक (मुखिया)

2. मुखिया व पूरे परिवार का विवरण (क्रम सं. 1 पर मुखिया का नाम व अन्य जानकारी ही भरी जावे)
(परिवार में सदस्यों की संख्या 8 से अधिक होने पर क्रम सं. 9 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पत्र के साथ देवे)

क्रम सं.	नाम*	माता का नाम*	पिता का नाम*	जीवन साथी का नाम (केवल विवाहित सदस्य हेतु)	MIF/Other	जन्म दिनांक*	मुखिया से संबंध*	यूनिक आईडी क्रमांक (UID)	विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1							स्वयं		
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

फार्म अ-II
प्रतिपण
आवेदन क्र.
दिनांक
श्री / श्रीमती / सु
पुत्र / पुत्री
निवासी
का आवेदन प्राप्त हुआ।
आवेदक दिनांक
को उपस्थित हो
वास्ते
सहाय अधिकारी
(राशन कार्ड अभियान)

(नोट - * चिह्नित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है)

3. गैस कनेक्शन, आय व बैंक खाते से सम्बन्धित सूचना

गैस कनेक्शन (टिक करें) नहीं <input type="checkbox"/> सिंगल <input type="checkbox"/> डबल <input type="checkbox"/>	गैस एजेंसी कम्पनी (टिक करें) Indane <input type="checkbox"/> Bharat Gas <input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/>	एजेंसी:	गैस कनेक्शन उपभोक्ता क्रमांक:
वार्षिक आय (पूरे परिवार की):* (रुपये)	आयकर दाता * हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>		पैन कार्ड स.
बैंक:	शाखा:		बैंक खाता सं.:

उपरोक्त (बिन्दु संख्या 1 से 3 में) दी गई जानकारी सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है

संलग्नक- (अधिकतम 3) 1- 2- 3-

हस्ताक्षर आवेदक (मुखिया) व दिनांक

4. आवास की सूचना में किरायेदार की स्थिति में मकान मालिक की सत्यापन रिपोर्ट -

यह मकान जिसमें श्री/शुश्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री श्री परिवार सहित अवधि से निवास कर रहे हैं। यह नैरी निजी सम्पत्ति है।

हस्ताक्षर मकान मालिक

5. प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/शुश्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री श्री निवासी ने नया राशन कार्ड बनवाने का जो प्रार्थना पत्र दिया है, इत्तः जो विकरण दिये है नैरी जानकारी व विश्वास से सही है। इनकी प्रार्थना स्वीकार करने योग्य है। (सदस्य लोकसभा/राज्यसभा/विधान सभा/जिला परिषद/नगर पालिका-परिषद-निगम/पंचायत समिति/सरपंच/वार्ड पार्षद/पटवारी/ग्राम सेवक, राज गन्त अधिकारी व केपल जयपुर न र निगम क्षेत्र में सेक्टर/पोस्ट/डिवीजन वार्डन नागरिक सुरक्षा सेवा) हरतार

पद, मोहर व दिनांक

कार्यालय उपयोग हेतु

चैक रिपोर्ट	फोटो पासपोर्ट साइज सत्यापित व चिपकाया हुआ	निवास याबत प्रमाण	मकान मालिक के हस्ताक्षर	प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर लील सहित
	आय सम्बन्धी जानकारी	पूरा भरा आवेदन पत्र	" " अंकित सभी कालम पूर्ण रूप से भरे हुए	

6. सत्यापन रिपोर्ट

उपरोक्त तथ्यों की जांच मौके पर नैरी द्वारा कर ली गयी है। प्रार्थना पत्र स्वीकार्य/अस्वीकार्य कर राशन कार्ड जारी/जारी नहीं करना उचित होगा। आधार निम्न है -

हस्ताक्षर
पद, मोहर व दिनांक

7. आदेश

- आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेज/जांच निरीक्षक के क्रम में नवीन बीपीएल/राज्य बीपीएल/अन्त्येदय/अन्नपूर्णा/आस्था राशन कार्ड जारी करें।
- जांच अधिकारी के सत्यापन/कार्यालय रिपोर्ट के आधार पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। आवेदक को सूचित करें।

आवृत्त उचित मूल्य की दुकान का क्रमांक नाम व पता:

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी
पद, मोहर व दिनांक

**एपीएल / स्टेट बीपीएल / बीपीएल / अन्त्योदय राशन कार्ड में यूनिट संशोधन
पता परिवर्तन एवं डुप्लिकेट राशन कार्ड बनाये जाने हेतु आवेदन फार्म प्रपत्र - ब**

प्रपत्र नं

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

आवेदन संख्या/दिनांक
.....

एपीएल/स्टेट बीपीएल/बीपीएल/अन्त्योदय राशनकार्ड में जारी यूनिटों में संशोधन, पता परिवर्तन एवं डुप्लिकेट राशन कार्ड बनाये जाने का आवेदन पत्र

1. सामान्य विवरण :- 'A' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है।

राशन कार्ड संख्या (12 डिजिट)												फोटो आवेदक (मुखिया)
राशन कार्ड में दर्ज मुखिया का नाम												
मुखिया के पिता का नाम							माता का नाम					
मोबाइल नम्बर												
ई. गेट पता												
राशन कार्ड में दर्ज पता	मकान नम्बर/मकान का नाम				मौहल्ला/कोलोनी/लैंड मार्क/लोकैलिटी							आवेदक के हस्ताक्षर
पंचायत समिति (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)	ग्राम पंचायत: (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)				ग्राम/वार्ड सं : (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)							
नगर निगम/नगर पालिका/परिषद: (केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू)	नगर निगम/नगर पालिका/परिषद का वार्ड नम्बर: (केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू)				जिला: पिन नम्बर							

2. मेरा उक्त राशनकार्ड उचित मूल्य दुकान सं....., नाम दुकानदार..... का था जो विरूपित हो/ गुम/फट गया है। अतः डुप्लिकेट जारी करे। खोये हुए राशन कार्ड की फोटोप्रति/कटा-फटा राशन कार्ड संलग्न है। खोया हुआ राशन कार्ड मिलने पर मैं उसका दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैंने राशन कार्ड खोने की सूचना भी सम्बंधित उचित मूल्य दुकानदार को दे दी है।
3. मैं निवास स्थान बदलने के कारण राशन कार्ड में दर्ज पता परिवर्तन हेतु आवेदन करता/करती हूँ कृपया निम्नानुसार मेरे राशन कार्ड में दर्ज पता परिवर्तित करें-

राशन कार्ड में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में नया पता 'A' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है।	मकान नम्बर/मकान का नाम	मौहल्ला/कोलोनी/लैंड मार्क/लोकैलिटी
पंचायत समिति (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)	ग्राम पंचायत: (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)	ग्राम/वार्ड सं : (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)
नगर निगम/नगर पालिका/परिषद: (केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू)	नगर निगम/नगर पालिका/परिषद का वार्ड नम्बर: (केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू)	जिला: पिन नम्बर

बिंदु 3 हेतु मैं जिस मकान का पता दिया है वह मेरी निजी सम्पत्ति/कच्ची बस्ती सर्वे युक्त सम्पत्ति/मैं किराये के मकान में निवास करता हूँ।

या राजस्थान राज्य से बाहर निवास करने के कारण समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ।

4. मैं निम्नांकित नामों को सम्मिलित करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ-

क्र. सं.	नाम*	पिता का नाम*	पिता का नाम*	जीवन साथी का नाम यदि विवाहित है तो	लिंग* M/F/Other	जन्म दिनांक	मुखिया से संबंध*	यूनिक आईडी (UID/ आधार) क्रमांक	विकलांग (हां/ना)	विधवा/परित्यक्ता (हां/ना)
1										
2										
3										
4										

नोट - 'A' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार में सदस्यों की अधिक होने पर क्रम सं 4 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ दें।

5. मैं निम्नांकित नामों को मेरे परिवार राशन कार्ड से घटाने/समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ-

क्र. सं.	नाम*	लिंग* M/F/Other	मुखिया से संबंध*	घटाने का कारण	समर्पण प्रमाण पत्र कहाँ के लिए जारी करना है
1					
2					
3					
4					
5					
6					

नोट - 'A' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार में सदस्यों की अधिक होने पर क्रम सं 6 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ दें।

हस्ताक्षर आवेदक

6. राशनकार्ड की विशिष्टियों की त्रुटियों में परिवर्धन/संशोधन - उदाहरणार्थ वर्तनी शुद्धि, पिता/माता का नाम, पता, गैस कनेक्शन सम्बन्धी विशिष्टियां, जलकनेक्शन सम्बन्धी विशिष्टियां, उचित मूल्य दुकान विवरण की विशिष्टियां, राशनकार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों के नाम, जन्म दिनांक व मुखिया से सम्बन्ध में संशोधन करवाने के लिए जारी मूल राशनकार्ड में अशुद्धि/वांछित परिवर्धन योग्य विशिष्टि पर आवेदक द्वारा गोला कर सही विशिष्टि स्वयं के हस्ताक्षर से अंकित की जावे तथा मूल राशनकार्ड आवेदन फार्म के साथ संलग्न किया जावे। यदि त्रुटि आवेदक के मूल फार्म में भरी गयी सूचना से मिलान करती है तो आवेदक को परिवर्धन एवं संशोधन के सम्बन्ध में दस्तोवज प्रस्तुत करने होंगे।

परिवर्धन/संशोधन का संश्लिप्त विवरण-

7. धोखाधड़े-

नोट- धोखाधड़े का जो बिंदु लागू नहीं हो उसे काट देवे।

- (क) मेरा आयकर विभाग का पेन क्रमांक है। मेरे राशन कार्ड में "मैं आयकर दाता हूँ/नहीं हूँ" अंकित है जिसके स्थान पर लिखा जावे क्यों कि मैं आयकर दाता हूँ/नहीं हूँ।
- (ख) मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन नं. गैस एजेन्सी डीबीसी/एसबीसी अंकित है जिसके स्थान पर गैस कनेक्शन नं. गैस एजेन्सी डीबीसी/एसबीसी अंकित किया जावे व मेरे पास गैस कनेक्शन नहीं है अतः मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन सम्बंधित प्रविष्टि हटाई जावे।
- (ग) मेरा क्रम बीपीएल घयन सूची वर्ष क्रमांक वार्ड में/अन्त्योदय सूची वर्ष क्रमांक वार्ड में है किन्तु मुझेश्रेणी का राशन कार्ड जारी कर दिया है अतः राशन कार्ड संलग्न कर निवेदन है कि मुझेश्रेणी का राशन कार्ड जारी किया जावे।
- (घ) इस प्रपत्र के बिंदु 4 में वांछित सदस्यों का नाम पहले से किसी भी अन्य प्रचलित राशनकार्ड में नहीं है और ना ही इस हेतु पहले कहीं आवेदन किया गया है न ही कोई सदस्य सेना से राशन लेता है।
- (ङ) इस प्रपत्र के बिंदु 3 हेतु मैं जिस मकान का पता दिया है वह मेरी निजी सम्पत्ति है/मैं किराये के मकान में निवास करता हूँ।
- (च) इस प्रपत्र के बिंदु 5 में श्री/श्रीमती/सुश्री का नाम विवाह/मृत्यु/तलाक/परित्यक्ता/स्थानान्तरण/अलग निवास/अलग रसोई होने के कारण घटाने के लिए आवेदन किया गया है। श्री रिश्ते में मेरे (मृतक से सम्बन्ध) है, इनकी मृत्यु के बाद मैं ही घर में वरिष्ठ सदस्य हूँ, इनके राशन कार्ड में मेरा नाम दर्ज है, अतः इनका नाम विलोपित करते हुए मेरे नाम से परिवार मुखिया के रूप में परिवर्धित राशन कार्ड जारी करें।
- (छ) इस प्रपत्र के बिंदु 6 के क्रम में मेरे द्वारा मूल राशन कार्ड में मेरे द्वारा अशुद्धि/वांछित परिवर्धनीय विशिष्टि पर गोला कर शुद्ध वर्तनी/परिवर्धित विशिष्टि अंकित की गयी है जिसे मेरे राशन कार्ड में शुद्ध किया जावे।
- (ज) मैं और मेरा परिवार राशनकार्ड का उपयोग राशन वस्तुये प्राप्त करने के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु नहीं करेगा।
- (झ) मुझे पता है कि राशनकार्ड सरकार की सम्पत्ति है। इसे जब भी सक्षम अधिकारी प्रस्तुत करने को कहेंगे मैं प्रस्तुत कर दूंगा। तथ्यों की जांच कभी भी की जा सकती है। गलत सूचना पाये जाने पर मेरा राशनकार्ड निरस्त किया जा सकता है तथा कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- (ञ) इस प्रपत्र के बिंदु 1 से 7 में दी गई समस्त जानकारी सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर आवेदक

सत्यापन

इस प्रपत्र के बिंदु 3 हेतु मैं दिए गए मकान के पते पर श्री.....पुत्र श्री.....परिवार सहित अवधि.....से निवास कर रहे है। यह मकान मेरी निजी सम्पत्ति है। (बिंदु 3 लागू होने पर ही सत्यापन कराया जाना है)

हस्ताक्षर मकान मालिक

कार्यालय/कियोस्क द्वारा कार्यवाही

चैक लिस्ट

क्या आवेदक द्वारा आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ स्वयं, मकान मालिक के हस्ताक्षर एवं फोटो सहित प्रस्तुत किया है?

हाँ/नहीं

संलग्न दस्तावेजों का विवरण:-

1. पूर्व वर राशनकार्ड निरस्तीकरण बाधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल समर्पण प्रमाण पत्र।
2. निवास बाधित प्रमाण यथा बिजली/पानी बिल, नगर निकाय की गृहकर रसीद, वोटर पहचान पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति।
3. नवविवाहिता का नाम दर्ज कराने हेतु पिता के राशनकार्ड से नाम कम कराने/शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र।
4. बच्चे का नाम दर्ज कराने हेतु नगर निगम/नगरपालिका/पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र बच्चा गोद लेने के सर्टिफिकेट की प्रति।
5. डुप्लीकेट राशनकार्ड हेतु पूर्व प्रचलित कार्ड की फोटोप्रति/शपथ पत्र। या कटा/फटा/विरूपित राशनकार्ड
6. मूल राशन कार्ड।
7. उम्र में परिवर्तन कराने हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा शिक्षा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
8. नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/तलाकनामे की स्वप्रमाणित प्रति/ परित्यक्ता का स्व प्रमाणित शपथ पत्र ।
9. नाम में परिवर्तन हेतु प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित शपथ पत्र अथवा राजकीय मुद्रणालय से जारी गजट की स्वप्रमाणित फोटोप्रति।
10. स्व प्रमाणित शपथ पत्र।
11. नाम जुड़वाने के लिए समर्पण प्रमाण पत्र।
12. अन्य.....

हस्ताक्षर लिपिका/कियोस्क धारी

संलग्नकों की कुल पंज संख्या.....